



COSMO FERRITES LIMITED

(Govt. of India Recognised Export House)

CIN : L27106HP1985PLC006378

H.O.: 517, 5th Floor, DLF Tower-A, Jasola District Centre, New Delhi-110025 (India)

Ph.: +91-11-49398800

E-mail : sales@cosmoferrites.com Website : www.cosmoferrites.com

CFR/SE/2024-25/MAR/04

March 19, 2025

The Manager (Listing)
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Code: 523100

Security ID: COSMOFE

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Further to our letter no. CFR/SE/2023-24/OCT/01 dated October 06, 2023, informing the initiation of Anti-Dumping Investigation by the Directorate General of Trade Remedies, Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) concerning imports of "Soft Ferrite Cores" originating in or exported from China, we hereby inform as under:

- 1) The Central Govt has issued a gazette notification vide Notification no. 04/2025-Customs (ADD) dated March 18, 2025, imposing "Anti-Dumping Duty of up to 35 % on import of soft ferrites cores" from China and/ or of Chinese origin.

We expect that this would enable higher capacity utilization and improved operating margins per unit.

You are requested to take record of the same.

Thank You.

Sincerely yours,
For **Cosmo Ferrites Limited**

Niharika Gupta
Company Secretary & Compliance Officer



Regd. Office & Works : P.O. Jabli, Distt. Solan, H.P.-173 209, (India) 173209
Phone : +91-1792-277231/32/36, E-Mail: plant@cosmoferrites.com



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032025-261693
CG-DL-E-18032025-261693

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2025/फाल्गुन 27, 1946

No. 144]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2025/PHALGUNA 27, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2025

सं. 04/2025- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 179(अ).—जबकि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित 'सॉफ्ट फेराइट कोर, (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मद 8505 11 10 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचना संख्या 6/22/2023-डीजीटीआर, दिनांक 23 दिसम्बर, 2024, जिसे दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अन्य बातों के अलावा, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि –

- विषयगत वस्तु को विषयगत देश से भारत में डंप किए गए मूल्यों पर निर्यात किया गया है;
- विषयगत देश से विषयगत आयात के कारण घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iii) विषयगत देश से विषयगत वस्तु के डंप किए गए आयातों के कारण सारवान क्षति हुई है,

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची की उस टैरिफ मद के अंतर्गत आती है: जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	सीआईएफ के प्रतिशत के रूप में शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	8505 11 10	सॉफ्ट फेराइट कोर*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	हुज़ोऊ हाओतोंग इलैक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं., लि. (उत्पादक)	31
2	- वही -	- वही -	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	यिबिन जिनचुआन इलैक्ट्रॉनिक्स कं. लि. और हेंगडियन गुप डीएमईजीसी मेग्नेटिक्स कं., लि.	शून्य
3	- वही -	- वही -	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क्र.सं. 1 से 2 के अलावा कोई अन्य	35
4	- वही -	- वही -	चीन जन.गण. सहित कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	35

*वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित ज्योमेट्री और लंबाई के मैगनीज-जिंक आधारित सॉफ्ट फेराइट कोर तक सीमित है:

क) 10 मि.मी. से 128 मि.मी. तक की लंबाई के ईई/ई/ईएफ

ख) 20 मि.मी. से 71 मि.मी. तक की लंबाई के पीक्यू/ईक्यू

ग) 24 मि.मी. से 35 मि.मी. तक की लंबाई के ईटी

घ) 03 मि.मी. से 202 मि.मी. तक की लंबाई के टोरॉयड (कोटिंग के साथ और कोटिंग के बिना)

ङ) 10 मि.मी. से 141 मि.मी. तक की लंबाई के यूयू/ यूआई

च) 20 मि.मी. से 245 मि.मी. तक की लंबाई के आई बार

छ) 11 मि.मी. से 67 मि.मी. तक की लंबाई के ईआर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपादन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों हेतु,

(क) ऐसे प्रतिपादन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुतिकरण की तारीख होगी।

(ख) "सीआईएफ मूल्य" का तात्पर्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य से है।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/36/2025-टीआरयू]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2025

No. 04/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 179(E).—Whereas in the matter of ‘Soft Ferrite Cores’ (hereinafter referred to as the subject good) falling under tariff item 8505 11 10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings, issued *vide* notification No. 6/22/2023-DGTR, dated the 23rd December, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd December, 2024, has *inter-alia* come to the conclusion that—

- (i) the subject good has been exported to India from the subject country at dumped prices;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury on account of subject import from subject country;
- (iii) the material injury has been caused by the dumped imports of subject good from the subject country,

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject good, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate as specified in the corresponding entry in column (7) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty as % of CIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	8505 11 10	Soft Ferrite Cores*	China PR	Any country including China PR	Huzhou Haotong Electronic Technology Co., Ltd. (producer)	31
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Yibin Jinchuan Electronics Co., Ltd. and Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.	Nil
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any, other than S. No. 1 to 2	35
4	-do-	-do-	Any country including China PR	China PR	Any	35

*The product under consideration in the present investigation is limited to Manganese-Zinc-based Soft Ferrite Cores of the following geometries and lengths:

a) EE/E/EF of length 10 mm to 128 mm

b) PQ/EQ of length 20 mm to 71 mm

c) ET of length 24 mm to 35 mm

d) Toroid (with and without coating) of length 03 mm to 202 mm

e) UU/UI of length 10 mm to 141 mm

f) I Bars of length 20 mm to 245 mm

g) ER of length 11 mm to 67 mm

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. – For the purposes of this notification,

(a) rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

(b) "CIF value" means assessable value as determined under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F.No. CBIC-190354/36/2025-TRU]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.